

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2009-10

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम **डॉ. राम मनोहर तिवारी** वर्तमान धारित पद **प्राचार्य**
वर्तमान वेतन रु. 60110/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01/07/2011**

1	2		3	4	5	6	7	8
	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे	गृह तथा अन्य भवन						
उस जिले, उपसमाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो			भूमि			उसे किस प्रकार अर्जित किया गया। खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्योरा	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
मंगलवारा वार्ड होशंगाबाद(म.प्र.)	20'X20' गृह			50000/-	-	भेंट	-	-
खेड़ीपुरा (हरदा)		4.85 एकड़		200000/-	-	विरासत	-	-

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम **डॉ. राम मनोहर तिवारी**
पद **प्राचार्य**
विभाग **उच्चशिक्षा**